केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त कांति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली—110066

दिनांकः 15.2.2016

प्रथम अपील संख्याः CIC/AA/A/2016/46
CICOM/A/2016/00045
संदर्भ संचिका संख्याः CICOM/R/2016/00077

अपीलकर्ता : श्री परशुराम शर्मा,
ए—739, चौखंडी डी.डी.ए.कालोनी,
नई दिल्ली—110018

1. दिनांक 21.01.2016 की प्रस्तुत प्रथम अपील जो दिनांक 25.01.2016 को इस आयोग में डायराईज हुई, **श्री परशुराम शर्मा**, ए—739, चौखंडी डी.डी.ए.कालोनी, नई दिल्ली—110018 द्वारा संस्थित की गयी है और यह अपीलकर्ता के दिनांक 01.01.2016 का आवेदन के संदर्भ में आर.टी.आई प्रकोष्ठ ने आयोग के **श्री उमेश चंद्र जोशी**, उप—पंजीयक (सू. आयुक्त.— एस.ए) एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी को ऑनलाईन के द्वारा दिनांक 20.01.2016 को प्रेषित किया के संबंध में है।

2. अपीलकर्ता ने अपने प्रस्तुत अपील के माध्यम से यह अभियोग लगाया है कि, उनके दिनांक 01.01.2016 आवेदन के माध्यम से वाँछित सूचना के संदर्भ में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने कोई सूचना प्रदान नहीं की है ।

3. वहरहाल, जहाँ तक अपीलकर्ता के आवेदन के माध्यम से चाही गयी सूचना का संवंध है यह स्पष्ट है कि उन्हें मांगी गयी सूचना दिनांक 18.01.2016 को आपको भेज दी गई है जो इसके साथ संलग्न है।

4. उपरोक्तानुसार इन टिप्पणियों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
16 FEB 2016
Initials..............................

C.I.C./के० सू० आ०
ISSUED
16 FEB
D. No..............................
Initials..............................

5. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई है, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, (पता– कक्ष संख्या–326, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110 066) में की जा सकती है।

अचला सिन्हा

अचला सिन्हा
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अपर सचिव

प्रतिलिपिः 1. श्री उमेश चंद्र जोशी, उप–पंजीयक (सू. आयुक्त.– एस.ए) एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी।

2. CPIO, RTI Cell.